न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 89/2019
जी.सी.एम.एस. नं.: 2019/00121

1. बलवन्त सिंह पुत्र वीर सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 37 जीबी ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
   1/1. गुरदीप कौर पत्नी
   1/2. निर्मल सिंह पुत्र
   1/3. सुखविन्द्र कौर पुत्री
   } बलवन्त सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 36 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. दलजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह उर्फ मदन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 37 जीबी ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. मनदीप कौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह उर्फ मदन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 37 जीबी ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

— प्रार्थीगण

बनाम

1. ज्ञानचन्द पुत्र जगतराम जाति रामदासिया साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. छिन्द्रपाल पुत्र जगतराम जाति रामदासिया साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. प्यारे लाल पुत्र जगतराम जाति रामदासिया साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
4. सतपाल पुत्र जगतराम जाति रामदासिया साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
5. हरजिन्द्र पाल पुत्र जगतराम जाति रामदासिया साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
6. सतनाम पुत्र जगतराम जाति रामदासिया साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
7. अमरजीत कौर पुत्री जगतराम जाति रामदासिया साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
8. कुलवीर पुत्री माता भजन कौर जाति हरिजन साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
9. वीर कौर पुत्री माता भजन कौर जाति हरिजन साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
10. सलविन्द्र कौर पुत्री माता भजन कौर जाति हरिजन साकिन 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
11. तहसीलदार राजस्व एवं भू.अ. श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री प्रेम कुमार चुघ, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री नवीन सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 6**

:: निर्णय ::

Signature Not Verified

दिनांक : 10.02.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:50:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

1. प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] जीबी ए मु.नं. 38 प.नं. 190/446 कि.नं. 13/2 ता 19/1 कुल 1.581है. व 19/2 ता 25 [illegible] 1.581है. कुल 3.162है. भूमि में आवागमन एवं कृ[illegible] उपज व कृषि औजारों [illegible] ने व ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि चक 37 जीबी मु.नं. 190/446 कि.नं. 5 व 6 प्रत्येक में $8^{1/4}$ फुट रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया और निवेदन

Scanned with CamScanner

किया है कि प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग करते थे। यह रास्ता मु.नं. 190/445 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में बने स्वीकृत रास्ते से होकर जाता है। अप्रार्थीगण ने यह रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी सं. 1 से 6 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं. 7 की नोटिस तामील भाई पर तथा अप्रार्थी सं. 8से10 की नोटिस तामील जरिए चस्पांदगी हो जाने के बाद भी अप्रार्थीगण सं. 7 से 10 हाजिर नहीं हुए। इस लिए अप्रार्थी सं. 7 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय किया जा रहा है।

3. अप्रार्थी सं. 1 से 6 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अन्य अनेक वैकल्पिक रास्ते है जिन्हें प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जानबूझकर नहीं दर्शाया है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादकारण प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण के द्वारा कभी भी रास्ता देने/स्वीकृत करवाने से इन्कार नहीं किया है। गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को नाजायज तंग व परेशान करने के लिए दायर किया है। मु.नं. 38 के उत्तर में स्थित मु.नं. 35 के कि.नं. 5 ता 25 में खाला सरकारी है जो कि गलत रूप से अप्रार्थीगण के रकबा मु.नं. 38 कि.नं. 1 ता 5 में बना हुआ है जिसे हटवाकर अपनी सही जगह पर व्यवस्थित करने बाबत वाद प्यारासिंह बनाम सरकार मा. सिविल न्यायाधीश श्रीगंगानगर में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण के द्वारा कभी भी रास्ता से इन्कार नहीं किया है व रास्ता में आने वाली भूमि [illegible]न भूमि अप्रार्थीगण की भूमि के संलग्न कि.नं. 13/2 में दिये जाने पर रास्ता दिये जाने का प्रस्ताव भी पंचायत के समक्ष अप्रार्थीगण के द्वारा ही प्रार्थीगण को दिया गया था जिसे प्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कि.नं. 5 से है जो कि मौका पर कि.नं. 5 में खाला चल रहा है ऐसी अवस्था में खाला पर बिना पुलिया निर्माण किये आवागमन संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र में सिंचाई विभाग भी आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में अनेक व्यक्तियों के द्वारा अपना हिस्सा का हक त्याग व अन्य दस्तावेज से हको का अन्तरण कर दिया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र मिसजोइन्डर आफ पार्टीज एवं नॉन जोइन्डर आफ पार्टीज से ग्रसित होने से काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक का परिशीलन किया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ते की परम आवश्यकता है, वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प व्यावहारिक है। मार्ग को स्वीकृत करने पर कच्चा घरेलू खाला व एक छोटा वृक्ष के नुकसान होने की संभावना है। [illegible] 7 जीबी ए प.नं. 190/446

5. सहायक अभियंता, जल [illegible] रिपोर्ट कि.नं. 5 में सिंचाई सुविधा की रिपोर्ट तलब [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सिंचाई सुविधा हेतु नक्का स्वीकृत है। [illegible] सिविल न्यायाधीश श्रीगंगानगर प्रमाणित प्रतिलिपि वाद पत्र मा. न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीगंगानगर प्यारेलाल बनाम स्टेट आदि का अवलोकन किया। अप्रार्थी प्यारेलाल के द्वारा अपनी भूमि कि.नं. 5 में खाला को लेकर मा. न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है। जिसके निर्णय के संबंध में भी उभयपक्ष द्वारा कोई दस्तावेज निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:50:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की प्रति इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा की गयी रास्ता की मांग अत्यंतिक आवश्यक्ता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा वांछित मार्ग ही निकटतम मार्ग है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार योग्य तो है परन्तु प्रार्थी द्वारा वांछित स्थान पर ही मार्ग दिये जाने से पूरी मुरब्बे की सिंचाई सुविधा प्रभावित होगी जिस कारण रास्ता स्वीकृत किया जाना व्यवहारिक नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता के विकल्प में अन्य किसी अथवा नजदीकी किसी रास्ता की मांग भी नहीं की गई है। लिहाजा न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

—: आदेश :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण अन्य भूमि से होते हुए अपनी भूमि में मार्ग स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:30:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner